रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 1996/आश्विन 16, 1918
No. 324] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 1996/ASVINA 16, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT OF INDIA

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1996

सा.का.नि. 459(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलिविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (क) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(3) (क) रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होगा, —

(i) केवल पांच सौ रुपए की फीस ; और

(ii) प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजें ।

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होगा,—

(i) केवल दो सौ पचास रुपए की फीस ; और

(ii) प्ररूप 1 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजें ।

(4) फीस की रकम उस प्रधान डाकघर में जमा की जाएगी जहां रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए आवेदन किया जा रहा है ।

(5) फीस की रकम अवर्गीकृत प्राप्तियां (यू.सी.आर.) शीर्ष के अंतर्गत जमा की जाएगी :—

(ख) उक्त नियमों के नियम 5 को उपनियम (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के नियम 3 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी नियम 3 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की जांच करेगा और प्ररूप 3क में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा" ;

(ग) उक्त नियमों के प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 1"

[नियम 3(1) देखिए]

दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है

केबल आपरेटर की हैसियत से *रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण/रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप ।

सेवा में,

प्रधान डाकपाल,

प्रधान डाकघर

.....

केबल आपरेटर की हैसियत से *रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण/रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए आवेदन।

1. (क) आवेदक का नाम (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यष्टियों का संगम/व्यक्तियों का निकाय) *
 (ख) आयु/स्थापन की तारीख/निगमन की तारीख ।
2. (क) पता (कार्यालय)
 (ख) टेलीफोन नम्बर (यदि कोई है)
3. (क) राष्ट्रिकता (व्यष्टि आवेदक/व्यष्टियों के निकाय के मामले में)
 (ख) जन्म/अधिमास के आधार पर
4. (क) रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण/प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए संदत्त फीस की रकमरु.
 (ख) प्रधान डाकघर का नाम
 (चालान जिसके द्वारा फीस जमा की गई है, की प्रति संलग्न करें)
5. वह क्षेत्र जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क कार्य कर रहा है/स्थापित किया जाना प्रस्तावित है
6. वह तारीख जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क प्रचालन में है/स्थापित किया जाना प्रस्तावित है
7. दिए गए/दिए जाने के लिए प्रस्तावित चैनलों की संख्या (नाम सहित)
8. (क) क्या टेलीविजन रिसीव ओनली (टी.वी.आर.ओ.) का उपयोग हो रहा है हां/नहीं
 (ख) यदि हां, तो टी.वी.आर.ओ. की संख्या और आकार
 (ग) अवस्थान
9. केबल सेवा में सम्मिलित दूरदर्शन उपग्रह चैनलों के नाम
10. पूर्वतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है हां/नहीं
 (केबल रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए भरा जाए)
11. (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए कारण बताएं
 (विकृत या विरूपित मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति/मूल प्रमाणप्रत्र की चोरी या गुम हो जाने के मामले में पुलिस में की गई रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)
 (ख) मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति इप्सित है
 [केवल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के मामले में भरा जाए]
12. प्ररूप 2 में घोषणा संलग्न है हां/नहीं
 (केवल रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के मामले में भरा जाए)

IndiaCode

हम आवेदक (*व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय) घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त तथ्य सभी प्रकार से सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर
*(व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों के संगम)
व्यष्टियों का निकाय
नाम
पता

स्थान :
तारीख :

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें ।''

(घ) उक्त नियमों के प्ररूप 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''प्ररूप 3 क''

[नियम 5(2) देखिए]

भारत सरकार

प्रधान डाकघर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति

1. श्री/श्रीमती/मैसर्स जो का/के निवासी है/हैं शहर/नगर में पते पर से 12 मास की अवधि के लिए (वह तारीख जिससे मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विधिमान्य था)* केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने के लिए केबल आपरेटर (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय) की हैसियत से रजिस्ट्रीकृत है/हैं।

उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या

2. यह प्रमाणपत्र केवल ऊपर वर्णित परिसर के लिए विधिमान्य है ।

3. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्ताक्षरणी हैं ।

4. यह प्रमाणपत्र ऊपर उपदर्शित अवधि तक या धारक जब तक केबल सेवा चलाता है या जहां प्रमाणपत्र का सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर लिया जाता है तब तक, विधिमान्य होगा ।

प्रधान डाकपाल
प्रधान डाकघर
.....(नगर/शहर)

स्थान :
तारीख :

केबल आपरेटर के परिसर में प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा ।

*जो समुचित हो उस पर निशान लगाएं ।''

[फा. सं. 9/2/95-पी.बी.सी.]

बी. के. मजोत्रा, अपर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई है और तत्पश्चात् उसमें सा.का.नि. 453(अ) तारीख 29-5-95 और सा.का.नि. 820(अ), तारीख 28-12-95 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 1996

G.S.R. 459(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 1996.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. (a) In the Cable Television Networks Rules, 1994 (hereinafter referred to as said rules), in rule 3, for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) (a) Every application for registration or renewal of registration shall be accompanied by—
(i) a fee of rupees five hundred only; and
(ii) the requisite documents mentioned in Form 1 and Form 2.
(b)Every application for issue of duplicate certificate of registration shall be accompanied by—
(i) a fee of rupees two hundred and fifty only; and
(ii) the requisite documents mentioned in Form 1.

(4) The amount of fee shall be deposited in the Head Post Office where the application for registration or renewal of registration or issue of duplicate certificate of registration is being made.

(5) The amount of the fees shall be deposited under the Head 'Un-Classified Receipts (U.C.R.)' ;"

(b) Rule 5 of the said rules shall be re-numbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so re-numbered the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2) On receipt of an application under clause (b) of sub-rule (3) of rule 3 for issue of duplicate certificate the Registering Authority shall examine the application having regard to the provisions of rule 3 and shall issue a duplicate Registration Certificate in Form 3 A ;"

(c) For form 1 to the said rules, the following Form shall be substituted namely:—

"FORM 1"
[See rule 3(1)]
(To be submitted in duplicate)

Form of application for *registration/renewal of registration/issue of duplicate certificate of registration as a cable operator.

To

The Head Postmaster
Head Post Office
.....

Application for *registration/renewal of registration/issue of duplicate certificate of registration as a cable operator.

1. (a) Name of applicant (individual/firm/company/association of persons/body of individuals)*
 (b) *Age/Date of establishment/Date of incorporation.
2. (a) Address (office)
 (b) Telephone number (if any)
3. (a) Nationality (for individual applicants/body of individuals)
 (b) By birth/domicile
4. (a) Amount of fee paid for *registration/renewal/issue of duplicate cetificate Rs.
 (b) Name of Head Post Office
 (Attach copy of challan vide which the fees have been deposited)
5. Area in which cable telivision network is working/proposed to be set up
6. Date from which the cable television network is operating/proposed to be set up
7. Number of channels being provided/proposed to be provided (with names)
8. (a) Whether using Television Receive Only (TVRO) Yes/No
 (b) If yes, number and size of TVRO
 (c) Location
9. Names of Doordarshan satellite channels included in cable service
10. Copy of earlier registration certificate enclosed Yes/No
 (To be filled in only for renewal of registration)
11. (a) State reasons for issue of duplicate certificate of registration
 (Attach mutilated or defaced original certificate of registration/copy of report made to the police in case of theft or loss of the original certificate)
 (b) Period of validity of the original Registration Certificate for which the duplicate Registration Certificate is being sought
 (To be filled in only for issue of duplicate Registration Certificate)

IndiaCode

12. Declaration in Form 2 enclosed Yes/No

(To be filled in for *registration/renewal of registration only)

I/We the applicant(s) *(individual/firm/company/association of persons/body of individuals) do hereby declare that the above facts are correct in all respects.

Signature of Applicant
*(individual/firm/company/
association of persons /body
of individuals)

Place:
Date:

Name
Address

*Score out the word or words which are not applicable";

(d) after Form 3 of the said rules, the following form shall be inserted, namely :—

"Form 3A"
[See Rule 5(2)]
Government of India
Head Post Office
DUPLICATE REGISTRATION CERTIFICATE

1. Shri/Shrimati/M/s resident ofis registered as a cable operator (individual/ firm/ company/ association of persons or body of individuals)* for running a cable television network at the following address in the city/town of for a period of twelve months with effect from (date from which the original Registration Certificate was valid).

His Registration Number is

2. This Certificate is valid only for the premises stated above.

3. This Registration Certificate is not transferable.

4. The Certificate shall remain valid for the period indicated above or till the holder carries on the cable service or where the surrender of the certificate is accepted by the competent authority.

Head Post Master
Head Post Office
.....(town/city)

Place :
Date :

TO BE DISPLAYED PROMINENTLY ON THE PREMISES OF THE CABLE OPERATOR

"Tick whichever is appropriate".

[File No. 9/2/95-PBC]
V. K. MAJOTRA, Addl. Secy.

Foot Note : Principal notification has published vide G.S.R. 729(E) dated 29th September, 1994 and amended subsequently vide G.S.R. 453(E) dated 29-5-95 and G.S.R. 820(E) dated 28-12-95.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996

IndiaCode